

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ ( राज.)

..... कालू ..... बनाम ..... रतन .....

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर... 11 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
04/01/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती कालू - गणपत - देवीलाल - गानालाल - रमेश</p> <p>पिता श्री अरु साहू</p> <p>निवासी- सेमालिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम सेमालिया (प. ६ धमपुरा) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर... खता सं. 15 में 4000 आराजी कीता 21 रकबा 3.7700 है, खता सं. 88 आ. न. 455/423 रकबा 0.5500 है, खता सं. 18 आ. न. 456/423 रकबा 0.5000</p> <p>कुल कीता 21+1+1=23 कुल रकबा 4.8200 है 0 की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>सेमालिया (प. ६ धमपुरा तह. वस्ती)</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम सेमालिया स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर खता सं. 15 में 4000 आराजी कीता 21 रकबा 3.7700 खता सं. 88 आ. न. 455/423 रकबा 0.5500 खता सं. 18 आ. न. 456/423 रकबा 0.5000 है।</p> <p>कुल कीता 21+1+1=23 रकबा 4.8200 है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 2000 रूपये अक्षरे... दी हज़ार रूपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">Exp (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>